



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (30 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की जून 2018 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त जून 2018 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 24.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (30 प्र0) की वेबसाइट www.slbcup.com पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,



(डॉ० राम जस यादव)

महाप्रबन्धक एवं संयोजक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (30 प्र0)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की जून 2018 तिमाही की बैठक दिनांक 24.08.2018 का कार्यवृत्त


राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2018 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 24.08.2018 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन; श्री अमित अग्रवाल, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्री के. रवीन्द्र नाइक, आई.ए.एस., आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय; श्री नवनीत सहगल, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, के.वी.आई.बी.; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ, श्री ए. के. सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक में सहभागिता की। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री बी. एस. ढाका, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना को revamp किया गया है। दिनांक 06.04.2018 को जारी निर्देशों के अनुसार निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं
 - एक उच्च स्तरीय Steering Sub – Committee का गठन किया जाना। हमारे प्रदेश में अभी तक दो बैठकें दिनांक 23.07.2018 व 16.08.2018 को आयोजित की जा चुकी हैं।
 - इस कमेटी की बैठक में अग्रणी बैंक योजना को बेहतर बनाने के अंतर्गत सुझाए गए नये एजेण्डा व अभी तक रखे जा रहे एजेण्डा के समान एजेण्डा बिन्दुओं को तैयार किया गया। ऐसे नये एजेण्डा बिन्दुओं जिन पर विभिन्न हितधारकों यथा केन्द्र व राज्य सरकार, नाबार्ड, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाएं इत्यादि से इनपुट्स व डाटा की आवश्यकता है, पर भी चर्चा की गयी व सम्बन्धित एजेंसीज से आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया गया है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में आज की बैठक का एजेण्डा अग्रणी बैंक योजना को बेहतर बनाने की संस्तुतियों के अंतर्गत तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें नये एजेण्डा बिन्दुओं पर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार जानकारी समावेशित की गई है। सभी सम्बन्धित से अनुरोध किया गया कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित वांछित सूचना हमें उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान करें।
 - साथ ही साथ Management of Strong MIS System of Data Flow at LBS fora and adhering to the time schedule of SLBC Meetings पर भी विशेष बल दिया गया है। इस कार्य हेतु तैयार की गई एक नई Sub-Committee के द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
2. माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा सभी शहरी क्षेत्रों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारम्भ किया गया। एस.एल.बी.सी. की सभी बैठकों में इस योजना के क्रियावयन के सम्बन्ध में चर्चा की जाती रही है। इस योजना हेतु हुडको एवं नेशनल हाउसिंग बैंक को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। प्रदेश में मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में सूडा के संयोजन में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति" की बैठको में इस योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की जा रही है। योजना के सफल क्रियावयन हेतु सभी से अनुरोध है।

उल्लेखनीय है कि गत 28 व 29 जुलाई 2018 को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार; माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश व अनेक संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में इस योजना के प्रभावी क्रियावयन पर ज़ोर दिया गया।
3. अवगत कराना है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में U.P.S.R.L.M द्वारा विभिन्न बैंको से एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding MoU) किये जाने की प्रक्रिया काफी समय से प्रतीक्षित थी। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिनांक 16.08.2018 को यू.पी.एस.आर.एल.एम. के साथ प्रदेश का पहला MoU हस्ताक्षरित किया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विकास हेतु एग्रीजंक्शन योजना का क्रियावयन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रशिक्षित कृषि स्नातकों को बैंक द्वारा ऋण सुविधा प्रदान कर उन्हें उद्यमी बनाने की योजना है। बेरोज़गारी की समस्या दूर करने के साथ ही वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की राष्ट्रीय प्राथमिकता व महत्वकांक्षी योजना में सहायक सिद्ध होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शीघ्र ही एग्रीजंक्शन योजनांतर्गत एक MoU किया जा रहा है।



4. प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकिंग आउटलेट/ बैंक शाखा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में रोडमैप तैयार करने हेतु एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) की उपसमिति बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वय में गठित है जिसकी अभी तक -5- बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। प्रथम चरण में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले -571- केन्द्रों को बैंक शाखा/बैंकिंग आउटलेट द्वारा आच्छादित किया जा चुका है। द्वितीय चरण में -5000- से अधिक आबादी वाले -1643- ऐसे केन्द्र चिन्हित किये गये हैं जिनमें उस केन्द्र पर कोई बैंक शाखा/ बैंकिंग आउटलेट मौजूद नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों दिनांक 05.06.2018 के प्रकाश में इन -1643- केन्द्रों की सूची पुनः सभी LDMs को Review हेतु इस आशय से भेजी गयी कि वे बैंक शाखा/ सीबीएस एनेबल्ड बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु सम्भावित केन्द्रों को DCC में अनुमोदन कराने के उपरांत बैंकों के मध्य अवंटन कर एस.एल.बी.सी. को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करेंगे ताकि एस.एल.बी.सी. द्वारा रोडमैप को अंतिम रूप दिया जा सके। अभी तक -71- जनपदों द्वारा वांछित सूचना का प्रेषण किया जा चुका है। अन्य -4- जनपदों यथा गाज़ियाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज व फिरोज़ाबाद के अग्रणी बैंकों से अनुरोध है कि संदर्भित सूचना का शीघ्र प्रेषण सुनिश्चित करें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में उपस्थित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालक गणों का अभिवादन करते हुए श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सर्वप्रथम समिति के समक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्व, देश एवं प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों तथा प्रदेश में सम्पन्न विभिन्न कार्यक्रमों व उपलब्धियों से समिति को अवगत कराया जिसके सार बिन्दु निम्नवत है :

- भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2017-18 के राज्य के बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ₹ 16.89 लाख करोड़ रहा। गत दिनों राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की है।
- समाज के अलग अलग वर्ग के लिए भिन्न भिन्न नीतियाँ तैयार कर प्रारम्भ की यथा कृषि नीति 2013, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमिता नीति 2017, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास नीति 2017, यूपी सोलर पॉवर नीति 2017, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, यूपी खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2017 आदि।
- राज्य सरकार प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैसे वाराणसी, कुशीनगर आदि में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- राज्य में अधिकतम संख्या में राष्ट्रीय राज मार्ग है। प्रदेश सरकार ने अभी ₹ 7500 करोड़ की लागत से नई दिल्ली – मेरठ एक्सप्रेस वे निर्मित किया। लखनऊ से प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ₹ 11200 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है।
- हाल ही में प्रदेश सरकार ने डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की है। ये कॉरिडोर अलीगढ़ से बुन्देलखण्ड तक प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य प्रदेश के विशेष क्षेत्र में रक्षा सामग्री का उत्पादन करना है।
- प्रदेश में -5- महानगर मेट्रो रेल निर्माण के लिए चुने गये है।
- दिनांक 29.07.2018 को प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु Ground Breaking Ceremony सम्पन्न हुई जिसमें 81 परियोजनाओं में ₹ 61000 करोड़ निवेश किया जाना प्रस्तावित है। इसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया।
- दिनांक 10.08.2018 को लखनऊ में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “एक जनपद एक उत्पाद” के सम्मेलन का शुभारम्भ किया। इस योजना के प्रारम्भ होते ही बैंको को निवेश के अवसर मिलेंगे तथा प्रदेश में बेरोजगार, युवाओं, कारीगरों को रोजगार मिलेगा जो कम से कम 5 लाख प्रति वर्ष होगा।
- भारत सरकार द्वारा संचालित ग्राम स्वराज अभियान द्वितीय चरण में प्रदेश के 5130 चिन्हित गाँवों को प्रधानमंत्री जन धन खातों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से परिपूर्ण किया गया।
- श्री जयकुमार ने समिति को जून 2018 को समाप्त तिमाही तक कुल जमा एवं निवेश से अवगत कराते हुए बताया कि मार्च 2018 से जून 2018 की अवधि में जमा में ₹ 15273.51 करोड़ की वृद्धि हुई लेकिन निवेश में ₹ 16072.16 करोड़ की गिरावट दर्ज हुई।
- भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त, कृषि एवं कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित Benchmark क्रमशः 40%, 18% एवं 10% के मुकाबले प्रदेश में इन्ही मदों में क्रमशः 59.04%, 27.87% एवं 18.41% की प्रगति दर्ज हुई जो बैंको द्वारा इन मदों पर किये गये प्रयासों और उपलब्धियों को दर्शाता है।



- वार्षिक लक्ष्य रू 2,29,656.41 के सापेक्ष प्रथम त्रैमास में रू 40182.36 करोड़ का निवेश कर 17.50% की उपलब्धि अर्जित हुई। उन्होंने सभी स्टैक होल्डर्स से निवेश को अधिकतम सीमा तक ले जाने एवं शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हेतु बैंको को यथा सम्भव सहायता देने की अपील की।
- प्रथम चरण में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले -571- केन्द्रों पर बैंकिंग आउटलेट/ शाखाएँ खुलने के बाद एस.एल.बी.सी. सब कमेटी द्वितीय चरण में अन्य -1643- गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु प्रयत्नशील है। आशा है कि शीघ्र ही इस कार्य को पूरा करने हेतु Final Roadmap तैयार कर लिया जायेगा।
- वित्तीय समावेशन देश की प्राथमिकता है तथा बैंको को अपने उत्पाद बेचने एवं ग्राहक संख्या बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। इसके अंतर्गत विभिन्न वित्तीय कार्यक्रमों यथा अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि के अन्तर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा बड़ी संख्या में पंजीकरण कराये गये तथा प्रदेश का अखिल भारतीय स्तर पर अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम स्थान तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में द्वितीय स्थान बरकरार है। इसमें प्रदेश में कार्यरत 27628 बैंक मित्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही तथा इनका नेटवर्क और मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश में बैंक शाखाओं को आधार पंजीकरण, प्रविष्टिकरण एवं प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। इस क्रम में प्रदेश में 1804 बैंक शाखाएँ चिन्हित की गयी है जिसमें से 1600 शाखाएँ कार्य निष्पादित कर रही है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदेश में समस्त बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता, ऋण परामर्शदाता के कार्यक्रमों को भी चला रहे है।
- प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 39.00 लाख केसीसी के सापेक्ष प्रथम तिमाही में 12.40 लाख के.सी.सी. नये अथवा नवीनीकरण के माध्यम से जारी किये जा चुके है। सभी बैंको से अपेक्षा है कि समस्त अर्हता प्राप्त कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें तथा समस्त के.सी.सी. धारकों का नियमानुसार बीमा किया जाये।
- जून 2018 में ऋण जमा अनुपात 50.63% दर्ज हुआ जो मार्च 2018 के सापेक्ष 2.60% कम है। विभिन्न बैंको से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि यह ऋण जमा अनुपात में यह कमी ऋणियों द्वारा दी गई लिमिट का उपभोग न करना तथा वसूली अभियान में तेजी के कारण हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एक जनपद एक उत्पाद योजना में बैंको द्वारा किये गये निवेश से ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय स्तर को छू सकेगा।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब तक रू 3405.24 करोड़ का निवेश हो चुका है। यह भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किये जाने की अपील की गयी। स्टैण्डअप इण्डिया योजना में प्रगति संतोषजनक नहीं है। बैंको से अपील की गयी कि इसका निराकरण कर इसमें लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किये जाये।
- अवगत कराया कि कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंक ऋण की क्रमशः 66.09% एवं 64.04% वसूली हुई है जो गत वर्ष के समकाल की तुलना में क्रमशः 4.30% तथा 1.15% अधिक है। यद्यपि 858815 वसूली प्रमाण पत्र विभिन्न तहसीलों में निस्तारण हेतु लम्बित है, इन वसूली प्रमाण पत्रों में निहित राशि रू 5950.50 करोड़ है। हालाँकि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट्स के पास विचारार्थ आवेदनों की संख्या में कमी आई है, फिर भी ऐसे 1231 प्रकरण लम्बित है जिनकी 60 दिनों से अधिक की अवधि बीत चुकी है।

पुनः सभी बैंकर्स से अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एवं नाबार्ड द्वारा समय समय पर जारी सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समस्त विभागों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से होना चाहिए ताकि एक विभाग को आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जा सके तथा साधारण से साधारण व्यक्ति को भी उस प्रायोजित योजना का लाभ मिल सके।

अंत में उन्होंने प्रदेश सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंको तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग तथा मिलकर कार्य करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया।

श्री अनूप चंद्र पांडेय, आई.ए.एस., मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने एस.एल.बी.सी. की बैठक में उपस्थित होकर समिति के समक्ष अपने विचार एवं दिशा निर्देशों से सभी उपस्थित स्टैकहोल्डर्स से समय की मांग के अनुसार कार्य करने की बात कही। समिति के अध्यक्ष श्री पी.एस. जयकुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा को संबोधित कर सभी उपस्थित गणमान्यों का स्वागत करते हुए कहा कि आज की समिति की बैठक मेरे लिए महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री बी. एस. ढाका जी की इस माह सेवानिवृत्ति है तथा इस त्रैमास की आज होने वाली बैठक उनकी अंतिम बैठक है। श्री पाण्डेय जी ने समिति के समक्ष अपने विचार रखते हुए कहा कि मैं हर मीटिंग में काफी कुछ विभिन्न मुद्दों/ विषयों पर चर्चा करता रहा हूँ लेकिन आज की मीटिंग में एजेण्डा पुस्तिका के



विषयों से सम्बन्धित सभी लोग उपस्थित हैं वह सब एजेण्डा के हर बिन्दु पर सार्थक करेंगे। मैं सिर्फ आज कई कार्यक्रमों से कुछ समय निकाल कर विशेष रूप से श्री ढाका जी से मिलने, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं देने आया हूँ।

उन्होंने कहा कि मेरा और श्री ढाका जी का लगभग 2 वर्षों का साथ रहा, मैं पहले भी, कई मीटिंग में आता रहा हूँ तथा श्री ढाका जी मुझे हर मामले में काफी सहयोग करते रहे हैं। पुरानी स्मृतियों को कुरेदते हुए, श्री पाण्डेय जी ने कहा कि जब से ढाका जी का साथ हुआ तब से कुछ ऐसे काम आते रहे जिन्हें सिर्फ बैंकों के माध्यम से ही पूरा कर पाना संभव हो पाया। विधान सभा चुनाव उपरांत नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी का संकल्प लिया था। सरकार बनते ही सरकार ने किसान कर्ज माफी के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। श्री पाण्डेय जी ने समिति के समक्ष श्री ढाका जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऋण माफी योजना के सफल क्रियाव्ययन का श्रेय मैं श्री ढाका जी को देता हूँ। उन्होंने कहा देश के कई अन्य राज्यों द्वारा हमसे इस योजना को तैयार और कार्याव्ययन के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है। उन्होंने कहा मेरा श्री ढाका जी के साथ बड़ा अच्छा सम्बन्ध रहा है। मुझे और सरकार को श्री ढाका जी ने हमेशा सहयोग और साथ प्रदान किया। उन्होंने श्री ढाका जी को कहा कि Glowing tribute to you आप जैसे अब तक कार्य करते रहे है आगे भी ऐसे ही करते रहिए।

संक्षेप में उन्होंने प्रदेश के विकास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए –

- उन्होंने कहा कि ऋण जमा अनुपात की वृद्धि हेतु इन्वेस्टमेंट की Opportunities अत्यंत महत्व रखती है।
- उत्तर प्रदेश संसार का पाँचवा सबसे बड़ा राज्य है। ODOP योजना के माध्यम प्रदेश में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में भारी निवेश के नये रास्ते खुल गए हैं। योजनांतर्गत रू 1000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। यह लक्ष्य बैंकों के योगदान के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था।
- उन्होंने सभा को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने कौशल विकास के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इण्डस्ट्रियल पॉलिसी को reframe किया गया है तथा Incentive Package revise किया गया है। देश के हर उद्यमी को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश आज सर्वोत्तम औद्योगिक आधार भूत संरचना सम्पन्न राज्य है।
- Investors Summit की Ground Breaking Ceremony सम्पन्न हुई जिसमें रू. 62000 करोड़ के निवेश से शुरुआत हुई तथा 2.5 लाख रोजगार सृजित हुए। लगभग डेढ़ माह बाद पुनः Ground Breaking Ceremony कराया जाना प्रस्तावित है जिसमें रू 50000 करोड़ निवेश की उम्मीद है।
- अवगत कराया कि “एक जनपद एक उत्पाद” Investors Summit से बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे 2 करोड़ कारीगर/ शिल्पकार जुड़े हैं। हमारे देश में अत्यंत योग्य कारीगर, शिल्पकार है। यदि चीन अपना उत्पाद विश्व में बेच सकता है तो हम भी कर सकते हैं बशर्ते हम अपने कारीगरों को निर्मित उत्पाद हेतु बाजार उपलब्ध कराये। इस हेतु शीघ्र ही AMZON से Tie- up करने की प्रक्रिया जारी है।
- ग्रेटर नोयडा में EXPO MART में हमारे उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए जगह की बात की है। हमने यहाँ शिल्पग्राम विकसित किया। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है इसे दुनिया का सबसे अच्छा, सर्वोत्तम स्थान बना दो। हमारे यहाँ हर फील्ड का कारीगर है तथा दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारे कारीगर अच्छा उत्पाद बनाते हैं।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभा को संबोधित कर समिति के समक्ष निम्नवत बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- जनपदों में डी.एल.आर.सी और डी.सी.सी. की मीटिंग अभी भी एक ही दिन हो रही है। डी.सी.सी. और डी.एल.आर.सी. की मीटिंग नियमानुसार अलग-अलग दिनों में होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जिलाधिकारी अलग-अलग निर्धारित बैठक में नहीं आ पाते हैं तो किसी एक बैठक में जिलाधिकारी तथा दूसरी में मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्षता कर सकते हैं। अभी भी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि डी.सी.सी./डी.एल.आर.सी. बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधि आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जब तक व्यक्ति वित्तीय साक्षरता का महत्व नहीं समझेगा तब तक किसी भी योजना का लाभ संबंधित व्यक्ति उठा नहीं पायेगा तथा योजनाएँ औपचारिकताएँ बनकर रह जायेंगी।
- माइक्रो इश्योरेंस की समस्त योजनाएँ अत्यंत लाभकारी है। इनके अंतर्गत बैंक द्वारा लाखों व्यक्तियों का पंजीकरण करा लिया गया। चूँकि लाभार्थी को इन योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है इसीलिए वह अगले वर्ष स्वेच्छा से नवीनीकरण नहीं कराता।



- एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में सुधार हेतु बैंकों द्वारा अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। पूर्व में विमुद्रीकरण तथा जी.एस.टी. लागू होने के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ा लेकिन अब धीरे-धीरे धीमी गति से सुधार हो रहा है। सिडबी एम.एस.एम.ई. का मुख्य संस्थान है इनका उद्यमी मित्र पोर्टल का उपयोग एम.एस.एम.ई. का कार्य बढ़ाने में किया जा रहा है। एम.एस.एम.ई. पोर्टफोलियों को बेहतर बनाने आरसेटी संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब तक आरसेटी से प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलने की दर लगभग 19 से 20% है। आरसेटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गुणवत्ता बढ़ाकर इसमें अपना योगदान दें। प्रदेश सरकार में जिला उद्योग केंद्रों में काफी सुधार किया है। जिला उद्योग केंद्र एम.एस.एम.ई. का पोर्टफोलियो बढ़ाने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं।

श्री अमित अग्रवाल, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ने बैठक को संबोधित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कहा कि यह उनकी पहली बैठक है। प्रदेश के विकास में एस.एल.बी.सी., बैंकर्स तथा राज्य सरकार के विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मेरा प्रयास होगा कि जिन भी मामलों में प्रयास चल रहे हैं उनमें जो भी सहायता की आवश्यकता होगी, यथासंभव प्रदान की जाएगी।

श्री के. रविंद्र नायक, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग ने समिति को संबोधित करते हुए अपने विचार निम्नवत रखें :

प्रदेश में “एक जनपद एक उत्पाद” योजना का शुभारंभ रु. 1000 करोड़ के ऋण आवंटित कर किया गया जिसके लिए सभी बैंकर्स बंधाई के पात्र हैं। यह योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी उत्पाद का अंतिम निस्तारण कराना है अर्थात् किसी भी उत्पाद के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री जुटाने, ऋण उपलब्ध कराने, निर्माण के लिए तकनीकी सहायता दिलाने, उत्पाद की पैकिंग आदि के बाद उसकी बिक्री उपरांत नगदी प्राप्त कराना ही उत्पाद का पूर्ण संतृप्तीकरण है।

उन्होंने एम.एस.एम.ई. के लक्ष्यों को पुर्ननिर्धारण की बात कही क्योंकि आवंटित लक्ष्य रु 41000 करोड़ के सापेक्ष 30% से अधिक की उपलब्धि प्रथम त्रैमास में ही हासिल कर ली गयी है तथा रु 50000 करोड़ का प्रस्ताव पाइप लाइन में है। उद्यमी बैंकों से संपर्क साध रहे होंगे। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अगले तीन माह में लगभग रु 50000 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। पुनः मार्च 2019 तक रु 50000 करोड़ की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कुल मिलाकर रु 1,50,000 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि एस.एल.बी.सी. द्वारा एम.एस.एम.ई. के लक्ष्यों का पुर्ननिर्धारण कर बैंकों के मध्य आवंटित कर दिया जाये ताकि कोई बैंक शाखा किसी उद्यमी को यह कहकर वापस न करें कि उनकी शाखा ने 200% लक्ष्य पूर्ति कर ली है अब नहीं हो पाएगा।

उन्होंने CGTMSE में प्रभार संबंधी मुद्दा उठाया कि CGTMSE में कुछ बैंक ऋणी खाते से प्रभार वसूल रहे हैं तथा कुछ बैंक स्वयं वहन कर रहे हैं। आरबीआई से अनुरोध है कि इस संबंध में एक समान निर्देश निर्गत कराने की व्यवस्था करें।

उन्होंने प्राइवेट बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्रमशः 19% तथा 10-12% की दर से ब्याज की गणना की बात उठाई तथा अपेक्षा की कि एक समान ब्याज दर हो तो अच्छा होगा। उन्होंने Sick Industries and their Rehabilitation को चिन्हित करने की बात कही। ऋण इकाईयों के पुनर्वास की जिला स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ.डी.ओ.पी. मार्जिन मनी योजना में रु 2000 करोड़ निवेश की आवश्यकता है इसके लिए रु 100 से 125 करोड़ की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है। इन सब बातों के मद्देनजर एम.एस.एम.ई. के लक्ष्य रु 1,00,000 करोड़ किया जाना तर्कसंगत एवं न्याय संगत है।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक श्री ए. के. सिंह ने अपने विचार निम्नवत व्यक्त किए :

- हाल ही में समाचार पत्रों, टेलीविजन पर नीति आयोग के उप सभापति (Vice chairman) श्री राजीव कुमार द्वारा एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित एवं प्रसारित की गयी। सर्वे रिपोर्ट NAFIS रिपोर्ट के नाम से जानी गयी, ये NABARD – All India Rural Financial Survey Report है।
- 29 प्रदेशों के 245 जनपदों पर किये गये सर्वे में कम कृषि जोत के बावजूद कृषि की औसत घरेलू आय को बढ़ाने का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः दो प्रकार के सर्वे अभी तक होते आए हैं। एक सर्वे Credit Situation Assessment Survey दूसरा सर्वे All India Debt and Investment Survey भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह सर्वे दोनों प्रकार के सर्वेक्षणों की आवश्यकता पूरी करता है। इसमें जीवन थापन तथा वित्तीय समावेशन दोनों ही विषयों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने सभी बैंकों, सरकारी संस्थाओं एवं एस.एल.बी.सी. का आह्वान किया कि इस सर्वे की अनुसंशा के अनुरूप अपना अपना सक्रिय योगदान दें।




- उन्होंने फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री की किसानों की आय दुगुनी करने की संकल्पना के पश्चात इस सम्बन्ध में अप्रैल 2016 में "दलवाई कमेटी" का जिक्र किया। इस समय तक किसानों की आय का कोई मानक नहीं था। वर्ष 2012-13 तक तीन वर्षों के अंतराल पर किसानों की आय में 39% की वृद्धि हुई यह एक सकारात्मक पहलू था। भारत में औसत कृषि आय ₹ 8931 प्रति माह तथा गैर कृषि आधारित औसत आय ₹ 7269 है। जहाँ पंजाब की घरेलू आय ₹ 23133 जो सर्वाधिक है तथा उ.प्र. न्यूनतम स्तर पर है जो ₹ 6668 है। वर्ष 2012-13 के एन.एस.एस.ओ. सर्वे के अनुसार कृषि आधारित आय 60% थी, इसमें दो प्रमुख संघटक हैं यथा खेती एवं पशुपालन दलवाई कमेटी ने इसे वर्ष 2015-16 में 69% से 80% तक बढ़ाने की बात कही थी लेकिन वर्ष 2015-16 में यह 60% से घटकर 43% रह गई जिसमें कृषि से आय 35% तथा पशुपालन से 8% रही। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें अपना कार्य बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे बढ़ाने के लिए भारत में कृषि कार्य करने वाले लोगों की/घरों की भी संख्या बढ़ानी होगी जो यहाँ 50% से भी कम यानि 48% है।
- उन्होंने इस वर्ष के यूनियन बजट का हवाला देते हुए अवगत कराया कि स्वयं सहायता समूह में इस वित्तीय वर्ष में ₹ 75,000 करोड़ निवेश किये जाये। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश में ₹ 75000 करोड़ का 16% निवेश एस.एच.जी में कार्यरत एसएचजी की संख्या के हिसाब से इसका शेयर 5% होता है। इस अनुसार प्रदेश में लगभग ₹ 4000 से 12000 करोड़ का निवेश अपेक्षित है। अब तक सिर्फ ₹ 123 करोड़ एस.एच.जी. को उपलब्ध कराए गए हैं उन्होंने अवगत कराया कि नाबार्ड द्वारा SHG के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसमें एस.एच.जी. की बुक कीपिंग का ब्यौरा उपलब्ध है तथा सभी बैंकों को लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। हर बैंक में शाखा प्रबंधक एस.एच.जी. की गुणवत्ता की रेटिंग देख सकता है। तदनुसार एस.एच.जी. को क्रेडिट लिंकेज कराया जा सकता है।
- इस वर्ष 39 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य है तथा प्रथम तिमाही में 12 लाख के.सी.सी जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 6 2.40 करोड़ किसान है इसमें से 90 लाख किसान के.सी.सी अर्थात बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय से किये गये अनुरोध के फलस्वरूप जून माह में कृषि विभाग द्वारा कृषि ऋण हेतु चलाये गये सघन अभियान के परिणामस्वरूप 7 लाख किसानों की औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है। पुनः अनुरोध कर 90 लाख कृषकों को के.सी.सी उपलब्ध करा कर बैंक से जोड़ने की योजना है।
- देश की प्रगति के लिए ऋण जमानुपात महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चिंता का विषय है कि विगत 27 महीनों में जहां पहले 40% से कम ऋण जमानुपात वाले 12 जनपद थे वही अब उनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई है। इसमें सुधार हेतु सघन प्रयासों की आवश्यकता है।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की गयी -

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की जून तिमाही की बैठक में Revamped Lead Bank Scheme के अनुसार निर्धारित एजेण्डा पर राज्य के संकेतकों के प्रदर्शन के पश्चात बिंदुवार चर्चा की गयी। समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के 97814 से अधिक गांवों में लगभग 18400 बैंक शाखा, 27000 व्यवसाय प्रतिनिधि एवं 19000 ATM के द्वारा बेसिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। श्री अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय ने व्यवसाय प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सुविधाओं सहित बैंकिंग आउटलेट एक शाखा के समान है तथा बैंक प्रतिनिधि की कार्य प्रणाली तथा कार्य का स्थान इस प्रकार का हो कि उसकी उपस्थिति से ग्राहकों को महसूस हो कि वह एक बैंक शाखा में कार्य हेतु आए हैं किसी एजेंट के पास नहीं। बैंक अपने व्यवसाय प्रतिनिधि को यदि चाहे तो बैंक का लोगो (LOGO) प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं ताकि बैंक ग्राहकों को भी भरोसा हो सके कि वह किसी बैंक विशेष के ग्राहक हैं तथा बैंक विशेष उन्हें सेवा प्रदान कर रहा है। सरकार के बैंकिंग आउटलेट की जानकारी व्यवसाय प्रतिनिधि के नाम फोटो सहित बैंक शाखा के अंदर सूचना पर प्रदर्शित रहे तो ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं होगी। उन्होंने श्री देवाशीष पाण्डा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली द्वारा बैंकों के साथ की गई बैठक का स्मरण दिलाया जिसमें उन्होंने सभी बैंकों को Business Correspondents के 31.08.2018 तक रोलआउट करने के निर्देश दिए थे। श्री अग्रवाल जी ने आशा व्यक्त की कि कार्य समय-समीमा में पूरा कर लिया जाएगा।

चर्चा के दौरान क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया कि बिजनेस कॉरिसपाण्डेंट व बैंकिंग आउटलेट एक महत्वपूर्ण कार्य बिन्दु हो गया है। अतः आगे की मीटिंग में बी.सी. के स्थान पर बैंकिंग आउटलेट की समीक्षा की जाये। कितने बी.सी. एक्टिव है इनकी संख्या जानने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मिले। श्री पी.एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुझाव दिया हम बी.सी. को Transaction wise कमीशन पेमेंट करते हैं। कमीशन देने से बी.सी. के एक्टिव होने की पुष्टि की जा सकती है।



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 14.06.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पृष्ठ :

विगत बैठक दिनांक 14.06.2018 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी। श्री ए.के. सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सुझाव दिया कि कृषि ऋण के स्थान पर कृषि सावधि ऋण का शेयर बढ़ाये जाये।

कार्यसूची संख्या - 1

वित्तीय समावेशन पहल की समीक्षा, बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार और वित्तीय साक्षरता

(क) बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट एवं बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में सीबीएस, इनेबल्ड बैंकिंग आउटलेट खोलने की स्थिति

समिति को अवगत कराया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वय में एक उपसमिति बनी है। इसकी अंतिम बैठक मई 2018 में हुई थी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिसंबर 2017 में एनआईसी सर्वे की रिपोर्ट एसएलबीसी को प्रेषित की थी जिसके अनुसार -44- केंद्र चिन्हित किए गए थे जहां कोई बैंक शाखा/ बैंकिंग आउटलेट नहीं थे। श्री अमित अग्रवाल जी ने समिति को अवगत कराया कि यह केंद्र ऐसे हैं जिनके 5 किलोमीटर की परिधि में कोई बैंक शाखा/ बैंकिंग आउटलेट नहीं है। शाखाओं की अनुपलब्धता -3- प्रकार से आंकलित की गयी थी।

1. भौगोलिक दृष्टि से जिसमें 5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत
2. कनेक्टिविटी के आधार पर जिसमें Grey Area तथा Dark Area चिन्हित किये गये
3. बी.सी. के Active तथा Inactive होने के आधार पर

उक्त सन्दर्भित -44- केंद्रों में से -33- केंद्रों पर बैंकिंग आउटलेट स्थापित कर दिये गये हैं। अक्टूबर 2018 तक सभी केंद्रों के बैंकिंग सुविधा से युक्त होने की संभावना है।

वित्तीय समावेशन

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी. एम. जे. डी. वाई.)

दिनांक 15.08.2014 को प्रारम्भ की गई योजना में अबतक 4.91 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से 4.42 करोड़ सक्रिय खातों में राशि जमा हुई तथा रूपे कार्ड जारी किये जा चुके हैं। 82.70% खातों में आधार सीडिंग की जा चुकी है। व्यवसाय प्रतिनिधियों को Aadhaar Enabled Payment System से सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध की जा चुकी है। प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या एवं सक्रिय खातों में जारी रूपे कार्ड की समीक्षा हुई एवं निश्चय किया गया कि खातों की संख्या एवं रूपे डेबिट कार्ड की संख्या में समानता रहे।

2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएँ यथा “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” व “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों के निस्तारण पर बैंको, बीमा कम्पनियों में त्वरित गति से कार्य करने का निर्णय लिया गया। सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में द्वितीय स्थान पर है।

3. अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर एवं स्वरोजगारी व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु उपरांत उन्हें पेंशन उपलब्ध कराना है। अवगत कराया गया कि PFRDA द्वारा समय समय पर इस योजना के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न अभियान चलाये गये जिसमें सभी सदस्य बैंको ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। हमारे प्रदेश ने पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

4. सम्भावनाशील जनपद (Aspirational Districts)

भारत सरकार द्वारा देश में -115- पिछड़े जनपदों को Aspirational Districts परिभाषित किया गया है तथा चयनित विकास आवश्यकताओं को पूरा कर उनके सर्वांगीण विकास हेतु चिन्हित किया गया है। इन -115- जनपदों में से -8- जनपद यथा



चित्रकूट, सोनभद्र, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती (इलाहाबाद बैंक), फतेहपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा), सिद्धार्थनगर (भारतीय स्टेट बैंक) व चन्दौली (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) हमारे प्रदेश से सम्बन्धित हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन चिन्हित जनपदों में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रगति की निगरानी हेतु निर्धारित -5- मानकों व प्रत्येक मानक हेतु केपीआई (Key Performance Indicator) से अवगत कराया गया था। इन जनपदों में बैंकों द्वारा अर्जित प्रगति पर भी चर्चा हुई तथा ग्राम स्वराज अभियान - द्वितीय चरण में जनधन खातों, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना आदि के माध्यम से संतृप्तिकरण की प्रगति समिति के समक्ष लाई गई।

(ख) बैंक मित्रों के संचालन की समीक्षा - बाधाएँ एवं मुद्दे

प्रदेश में लगभग 27290 व्यवसाय प्रतिनिधि कार्यरत हैं। विश्वास है कि सभी बैंकों की शाखाओं में इनका विवरण प्रदर्शित होगा। सभी बैंक शाखाओं से अपेक्षित है कि वह इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लें।

(ग) डिजिटल बैंकिंग - प्रदेश में डिजिटल मोड से भुगतान में वृद्धि, कनेक्टिविटी समस्याएँ आदि

विमुद्रीकरण के पश्चात कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु बैंको ने आधार युक्त जमा भुगतान एवं रूपे कार्ड आधारित जमा भुगतान शुरू किया है। साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंको द्वारा मोबाइल बैंकिंग, यू.पी.आई. (Unified Payment Gateway); भीम (Bhim) इत्यादि सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जा रही है।

बैंको को अपने स्तर पर इलेक्ट्रानिकली ट्रांजेक्शन यथा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./आई.एम.पी.एस. क्रेडिट व डेबिट कार्ड, पाइंट ऑफ सेल, आधार आदि से पूर्ण करना है। वर्ष 2018 के 200 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध जून 2018 तक लगभग 160.84 करोड़ संव्यवहार हो चुके हैं।

(घ) प्रत्यक्ष बेनिफिट स्थानांतरण के रोलआउट, आधार सीडिंग एवं अधिप्रमाणन की स्थिति

प्रदेश में 1804 बैंक शाखाएँ चिन्हित की गई जिसमें 1600 केन्द्रों पर आधार पंजीकरण का कार्य चल रहा है। आधार कार्यालय से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्तों में देखा गया कि 1313 आधार पंजीकरण केंद्र (शाखाओं) में ही आधार पंजीकरण हो रहा है।

(ड) वित्तीय साक्षरता - स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करने की समीक्षा, बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल (विशेष रूप से डिजिटल वित्तीय साक्षरता)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में अंगीकृत -9649- स्कूलों में -9326- प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर अब तक -477272- विद्यार्थियों को साक्षरता प्रदान की गयी।

(च) विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी, सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना फसल बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा

बैंको द्वारा वगत कराया गया कि विभिन्न माध्यमों, नुककड़ नाटक आदि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(छ) आपूर्ति श्रृंखला में सभी हितधारकों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के अंत तक प्रयासों की समीक्षा

यह एक नई संकल्पना उभरकर आई है। इसमें सभी सम्मानित सहभागियों से सहयोग की अपेक्षा की गयी।

कार्यसूची संख्या 2


बैंकों द्वारा क्रेडिट वितरण की समीक्षा

(क) प्रदेश के वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत उपलब्धि

समिति के समक्ष प्रथम त्रैमास हेतु प्रगति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार आवंटित लक्ष्यों रू 229656.41 करोड़ के सापेक्ष रू. 40182.36 करोड़ की उपलब्धि (17.50%) से अवगत कराया गया। चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आई कि गत वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश कृषि ऋण मोचन योजना 2017 के क्रियावयन पर बैंको द्वारा अधिक प्रयास किये गये हैं।

अन्य कृषि व्यवसाय सम्बन्धित योजनाएँ

1. भारत के पूर्वी प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हरित क्रांति योजना के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा



सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में इस योजना का क्रियावयन किया जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समंवय एस.एल.बी.सी. की उपसमिति अपनी नियमित त्रैमासिक बैठकों में इस योजना की विस्तृत समीक्षा करती है।

2. एग्रीकल्चर/ एग्रीबिजनेस केन्द्र

सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा एग्री कल्चर/ एग्री बिजनेस केंद्रों के लिए 173 मामलों में ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

3. ग्रामीण भंडारण हेतु कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है। योजनांतर्गत कार्यवाही हेतु बैंकर्स से अनुरोध किया गया।

(ख) सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रवाह एवं इन योजनाओं का प्रभाव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)

योजना 39 जनपदों में 250 विकासखंडों में सघन रूप से चल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने State NRLM के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है तथा अन्य बैंक एवं ग्रामीण बैंक भी इस ओर अग्रसर है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihood Mission- NULM)

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित योजना है। इसके व्यक्तिगत तथा समूह हेतु निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 12237 तथा 522 है तथा सभी संबंधित सम्बन्धित को प्रेषित कर दिए गए हैं। योजनांतर्गत दर्ज अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

इस रोजगार परक योजना का संचालन के.वी.आई.सी. नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। पिछली एस.एल.बी.सी. की मीटिंग में नोडल एजेंसी से प्राप्त लक्ष्यों का अनुमोदन करा कर सभी जनपदों को प्रेषित किया गया था। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु खादी आयोग से आये श्री पांडेय जी ने बताया कि 7669 इकाइयों के लिए 191 करोड़ की सब्सिडी का आवंटन है। हमें अप्रैल में जब इस वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति हुई तब पिछले वर्ष के लिए आवंटित सब्सिडी में से 137 करोड़ का बैंकलॉग मिला अर्थात् 31.03.2018 तक जिन इकाइयों को ऋण स्वीकृत हो गए थे उन्हें सब्सिडी आवंटित नहीं हो पाई थी। अतः इसमें से 137 करोड़ की अनुदान राशि का आवंटन/ भुगतान भी इसी अनुदान राशि से करना है। इस प्रकार हम अक्टूबर नवंबर तक इस योजना में हम अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

विशेष समन्वित योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

इन योजनाओं की प्रगति समिति के समक्ष रखी गई। विशेष समन्वित योजना के विषय में चर्चा हुई तथा इसमें गत 3 वर्षों की औसत प्रगति सिर्फ 30% होने पर चिंता प्रकट की। मुख्य सचिव महोदय ने इसकी प्रगति में सुधार हेतु तथा कम से कम 40% तक प्रगति लाने पर जोर दिया था।

अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत संचालित करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में अल्पसंख्यक लोगों को प्रदान की गयी आर्थिक सहायता का लक्ष्य कुल Priority Sector का 12.71% है तथा अल्पसंख्यक चिन्हित जनपदों में प्रदान की गई आर्थिक सहायता 22.56% है इसमें लगातार प्रगति परिलक्षित है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

समिति को अवगत कराया गया कि मुद्रा योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान अभीतक रु 3405.24 करोड़ की धनराशि का वितरण किया जा चुका है।

हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर समुदाय हेतु Revival, Reform & Restructuring Package का क्रियावयन – प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना

इस कार्यक्रम के क्रियावयन एवं मूल्यांकन हेतु एस.एल.बी.सी. की एक सब कमेटी सिंडीकेट बैंक के समन्वय में गठित है, जिसकी नियमित बैठक आयोजित कर प्रगति समीक्षा की जाती है। सम्बन्धित बैंको से अनुरोध किया गया कि लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण अविलम्ब कराये ताकि बुनकरों को ससमय आर्थिक लाभ प्राप्त हो एवं वे अपना कारोबार कर सकें।



स्टैंड अप इण्डिया योजना

स्टैंड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी सम्बन्धित से अनुरोध किया गया कि इस योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सघन प्रयास किये जाये।

एक जनपद एक उत्पाद योजना

इस योजना की शुरुआत 25.01.2018 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई। दिनांक 09.03.2018 को मुख्य सचिव ने समस्त बैंकों के साथ योजना पर विस्तार से चर्चा की। तत्पश्चात इसकी मार्गदर्शिका तैयार की गई। दिनांक 10.08.2018 को योजना का वृहद् आयोजन माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में हुआ।

(ग) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों और किरायेती आवास को अग्रिम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह:

उक्त योजना भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा लागू की गई तथा 2 अक्टूबर 2006 से प्रारम्भ की गई। विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत उद्यमों के विकास की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Empowered Committee के माध्यम से की जा रही है। योजनांतर्गत बैंको द्वारा किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में विस्तृत चर्चा की गयी।

प्रधानमंत्री आवास योजना:

दिनांक 17.02.2015 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों हेतु आवास योजना का शुभारम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य "सबके लिए आवास" उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत प्राप्त प्रगति से सदन को अवगत कराया गया एवं प्रदत्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समस्त सम्बद्ध से प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया।

(घ) किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा

सदन को योजनांतर्गत प्रगति से अवगत कराया गया। प्रगति के अनुसार 12 लाख केसीसी जारी किए जा चुके हैं। दुर्घटना बीमा योजना व्यक्तिगत रूप से किसानों पर लागू होती है तथा फसल बीमा फसलों के लिए तैयार की गई है। हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फसल बीमा से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय एवं सभी बैंकों तथा बीमा कंपनियों के साथ होती है तथा कमियों का समाधान भी होता है।

(ङ) शिक्षा ऋण

योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार समीक्षा अवधि तक कुल -4499- मामलों में पोषण किया गया।

(च) स्वयं सहायता समूह

इस योजना में 3530 एसएचजी नये क्रेडिट लिंकेज वाले समूह हैं। जून 2018 तक कुल 302000 समूहों का बचत लिंकेज किए गए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों में 12393 सेविंग लिंकेज तथा 2153 समूहों को क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

साहकारी ऋण मुक्ति योजना

सदन को योजनांतर्गत प्रगति से अवगत कराया गया।


कार्यसूची संख्या 3

2022 तक किसानों की आय का दोगुना

यह Revamped Lead Bank Scheme का प्रमुख विषय है। नाबार्ड द्वारा प्रकाशित फोकस पेपर के अनुसार प्रमुख रणनीतियां यथा उत्पादकता, जलसंचय एवं कृषि नीतियों में सुधार, एकीकृत कृषि प्रणाली, बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करना एवं विशेष नीतिगत उपाय/ नीतियाँ अपनाकर किसानों की आय दोगुनी करने हेतु चर्चा हुई। इनका कार्यावयन कर प्रश्रगत विषय पर सफलता पाने के प्रयास हेतु सभी से अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या 4

ऋण जमा अनुपात, 40% से कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों की समीक्षा और डीसीसी (एससीसी) की विशेष उप-समितियों के कामकाज



- प्रदेश में 24 जनपद ऐसे हैं जिनका ऋण जमानुपात 40% से कम है। इस विषय पर सदन में व्यापक चर्चा हुई तथा इसमें सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए समस्त से अनुरोध किया गया। इन जनपदों की समीक्षा बैठक यूनियन बैंक के समन्वयन गठित उपसमिति में अभी तक होती रही है। आशा व्यक्त की गई कि एक जनपद एक उत्पाद, मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना आदि योजनाओं में निवेश से ऋण जमानुपात की स्थिति बेहतर होगी। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानकों के सापेक्ष प्रदेश का निवेश अच्छा है। जून 2018 में ऋण जमा अनुपात 50.63% दर्ज हुआ जो मार्च 2018 के सापेक्ष 2.60% कम है। विभिन्न बैंकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि यह ऋण जमा अनुपात में यह कमी ऋणियों द्वारा दी गई लिमिट का उपभोग न करना तथा वसूली अभियान में तेजी के कारण हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एक जनपद एक उत्पाद योजना में बैंकों द्वारा किये गये निवेश से ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय स्तर को छू सकेगा।

कार्यसूची संख्या 5

विभिन्न योजनाओं में गैर निष्पादक आस्तियों, प्रमाणपत्र मामले और गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली की स्थिति

एन.पी.ए. की वर्तमान स्थिति तथा वसूली से संबंधित आंकड़ों से समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया। समिति को अवगत कराया गया कि वसूली आदि पर पूर्व में चर्चा हुई तथा Action Taken Report के माध्यम से लंबित वसूली प्रमाण पत्र तथा सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर चर्चा हुई तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के साथ साथ और सहयोग का अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या 6

राज्य में प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों में ऋण के पुनर्गठन की समीक्षा, यदि कोई हो

Revamped Lead Bank Scheme में यह भी एक समीक्षा हेतु विषय बिंदु निर्धारित किया गया है। इस समीक्षा अवधि में इसकी कोई सूचना/ आंकड़े चर्चा हेतु उपलब्ध नहीं है।

कार्यसूची संख्या 7

केन्द्रीय/ राज्य सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलों पर चर्चा (औद्योगिक नीति, एमएसएमई नीति, कृषि नीति, स्टार्ट-अप पॉलिसी, आदि) और बैंकों के उम्मीद की भागीदारी

जैसा कि एजेण्डा की विषय वस्तु से ही स्पष्ट है कि इस कार्य बिन्दु में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी विभिन्न नीतियों की प्रदेश के विकास में उपयोगिता, उनके कार्यान्वयन तथा परिणामों की समीक्षा होना प्रस्तावित है। इन नीतियों के अंतर्गत सघन प्रयास कर बहुमुखी विकास प्राप्त करना ही उद्देश्य है।

कार्यसूची संख्या 8

ग्रामीण बुनियादी ढांचे / क्रेडिट अवशोषण क्षमता में सुधार पर चर्चा

Revamped Lead Bank Scheme के अंतर्गत निम्न एजेण्डा बिन्दु पहली बार चर्चा में शामिल किया गया। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:

- (क) सी-डी में सुधार करने में मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा कल्पना की गई कोई भी बड़ी परियोजना अनुपात
- (ख) राज्य-विशिष्ट संभावित विकास क्षेत्रों और आगे के रास्ते के दायरे का अन्वेषण करें - पार्टनर बैंकों का चयन करना
- (ग) क्षेत्र केंद्रित केंद्रित अध्ययनों, यदि कोई हो, और सुझाए गए समाधानों को लागू करने पर निष्कर्षों पर चर्चा
- (घ) ग्रामीण और कृषि के बुनियादी ढांचे में अंतराल जो वित्तपोषण की जरूरत है (ग्रामीण गोदाम, सौर ऊर्जा, कृषि प्रसंस्करण, बागवानी, संबद्ध गतिविधियों, कृषि विपणन आदि) की पहचान
- (ङ) मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 का कार्यान्वयन (संभावना की खोज)

कार्यसूची संख्या 9

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) आदि के साथ भागीदारी मिशन मिशन पर कौशल विकास की दिशा में प्रयास आरएसटीआई के कामकाज की समीक्षा सहित

Revamped Lead Bank Scheme के अंतर्गत यह एजेण्डा बिन्दु पहली बार चर्चा में शामिल किया गया। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



आरसेटी संस्थानों की स्थापना

प्रदेश में कुल 76 आरसेटी संस्थान कार्यरत है। आरसेटी संस्थानों के क्रियाकलापो तथा प्रगति समीक्षा हेतु पंजाब नेशनल बैंक के समंवय में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति गठित है जिसकी नियमित बैठके की जा रही है।

कार्यसूची संख्या 10

भूमि रिकॉर्ड में सुधार के लिए कदम उठाए गए, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में प्रगति और निर्बाध ऋण वितरण

इस विषय पर राज्य सरकार के स्तर से विस्तृत स्थिति, डाटा एवं कार्यबिन्दु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

कार्यसूची संख्या 11

जिला स्तर पर सफलता की कहानियों और नई पहलों को साझा करना जिन्हें अन्य जिलों या राज्य में दोहराया जा सकता है
Revamped Lead Bank Scheme के अंतर्गत यह एजेण्डा बिन्दु पहली बार चर्चा में शामिल किया गया। विभिन्न स्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की सफलता की कहानियाँ प्रत्येक त्रैमासांत एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करने का कष्ट करो।

कार्यसूची संख्या 12

बाजार खुफिया मुद्दों पर चर्चा

Revamped Lead Bank Scheme के अंतर्गत निम्न एजेण्डा बिन्दु पहली बार चर्चा में शामिल किया गया। विभिन्न स्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- (क) पॉजी योजनाएं/ असंगठित निकायों/ फर्मों/ कंपनियों की अवैध गतिविधियां जनता से जमा की मांग
- (ख) बैंकिंग संबंधित साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग, आदि
- (ग) क्षेत्र में उधार संस्थाओं, ऋणात्मकता के मामलों के द्वारा उदार गतिविधियों के उदाहरण
- (घ) उधारकर्ता समूहों, आदि द्वारा क्रेडिट से संबंधित धोखाधड़ी

बैंकों से सम्बन्धित अपराधिक मामले :

चर्चा के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा से सम्बन्धित -6- अपराधिक मामलों की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया व जिन शाखाओं में घटनाएँ घटी वे उन्नाव शाखा, बनवीर कच्छा शाखा, जिला प्रतापगढ़; इरादतपुर चतुर्भुजपुर ए.टी.एम., फतेहपुर; बहाई शाखा, रायबरेली; पूरबगाँव शाखा, जनपद प्रतापगढ़; हिनौता शाखा, जनपद कौशाम्बी है। पुलिस विभाग से अद्यतन जानकारी का अनुरोध किया गया है।

कार्यसूची संख्या 13


डीसीसी / डीएलआरसी बैठक में अनसुलझे मुद्दे शेष

Revamped Lead Bank Scheme के अंतर्गत यह एजेण्डा बिन्दु पहली बार चर्चा में शामिल किया गया। विभिन्न स्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यसूची संख्या 14

एसएलबीसी बैठक के अनुसूची का पालन करते हुए बैंक द्वारा समय पर डेटा जमा करना

Revamped Lead Bank Scheme के अंतर्गत यह एजेण्डा बिन्दु पहली बार चर्चा में शामिल किया गया। विभिन्न स्रोतो से प्राप्त/ उपलब्ध जानकारी के आधार पर वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गयी। साथ ही सम्बन्धित एजेंसी से अनुरोध भी किया गया कि इस विषय में उपलब्ध जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।




अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य वस्तु

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ प्रमुख सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंको एवं आई.बी.ए. के साथ एक बैठक आहूत की गयी जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा Direct Benefit Transfer के माध्यम से खातों में जमा अनुदान (subsidy) पर बैंको को अपनी वसूली करने का अधिकार तो है क्या ये अधिकार बैंको को छोड़ देना चाहिए या नहीं।


भारतीय बैंक संघ ने बैंको के साथ विमर्श किया जिसमें बैंको ने प्रदत्त अधिकार Right to set off को छोड़ने से असहमति जताई लेकिन बैंको ने लाभार्थियों को सरकार से प्राप्त एक बार अनुदान अथवा सहायता जो प्राकृतिक आपदाओं यथा साइक्लोन, भूकम्प तथा बाढ़ आदि से हुई हानि की प्रतिपूर्ति स्वरूप खातों में प्राप्त होगी उसे बैंक लाभार्थियों के उपयोग तथा उपभोग के लिए छोड़ देंगे। इसकी जानकारी से सभी सम्बन्धित को अवगत कराया गया।

अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जयकुमार जी ने, श्री दाका जी को इस बैठक के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बधाई दी तथा सभी आमंत्रित गणमान्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।




राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 24.08.2018 - कार्य बिन्दु (Action Points)

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Recovery of Bank dues under RC filed cases and permission/ possession of properties etc. in SARFAESI cases filed by the Banks	<p>The recommendations of the Sub- Committee of SLBC (UP) on Recovery issues were placed for discussion in the Meeting. During the discussions 3 important issues have emerged wherein the active support & cooperation of the State Govt. is felt and has been requested upon as per following status :</p> <p>➤ 8.58 lac RCs amounting to Rs.6000.00 Crores approximate of different Banks are pending in the State. Computerization of the RCs in the State has been done during 2012-13 and a list of top - 50- RCs per district has also been meet available to the DMs and DIF by Banks. However, the recovery under RC filed accounts is very meagre.</p> <p>➤ Approximately -2000- applications of different Banks under SARFAESI Act are pending for long for permission/ possession of the described property by the District Magistrates of different districts in the State. Due to non disposal of the applications for long, the recovery of Bank dues is held up and there is an urgent need for creating a conducive recovery climate in the State by providing necessary support. It is pertinent to mention that in a recent judgement passed by Hon'ble Allahabad High Court, it is mentioned that under SARFAESI Act, the property in question can not be auctioned without taking physical possession of the same.</p> <p>➤ Under SARFAESI Act cases, the Banks are required to pay heavy charges for the Police Force which is made available in the process of taking the physical possession of the properties in question. The rationalization of this issue accorss the State and specific guidelines for the same are necessary.</p>	<p>All Banks have been requested to follow up with Revenue authority for RC filed cases and for seeking permission from District Magistrate. The Banks are requested to submit such cases under SARFAESI Act. Pending applications beyond 60 days with DM may be sent to SLBC, District wise to take up matter with Govt. of UP.</p> <p>(Action: All Banks & the DIF)</p>
2.	Functioning of Bussiness Correspondents (BCs) and display of their details at the link branch etc.	<p>As many as 28,672 BCs are functioning in the State to cover 27,628 SSAs and 9,404 wards. These BCs are providing various Banking Services to the masses in different parts of the State. However, instances have come to the notice that either the BCs become inactive/ defunct or the public is not well versed with the services being rendered by them in their area of operation. Hence, a need is felt to display the details of BCs in their link branch so that the public may get a first hand information about them.</p>	<p>All Banks have again been requested to display the detail of BC at branch of the banks with photograph of BC and the works which are being carried out by the BC and the works which are not permitted to BC. So that customers of the bank be aware about the functioning of the BC and may not be subjected to any cheating.</p> <p>(Action: All Banks)</p>
3.	Effective Implementation of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) & Stand Up India (SUI) Schemes in the State in order to achieve the set Annual Targets	<p>The PMMY & Stand Up India (SUI) Schemes are Govt. of India sponcered Schemes and were launched on 08th April 2015 and 05th April 2016 resepectively.</p> <p>Under PMMY, Annual Targets are received by Banks for State from their Corporate Office which inturn are distributed up to the Branch Level. Under SUI, every branch is required to finance -1- SC/ ST and -1- Women Entrepreneur. Under PMMY, the maximum Ceiling of the loan per beneficiary is Rs. 10 lacs while under SUI, the projects ranging from Rs.10 lac up to Rs. 1 Crore are covered.</p> <p>The Progress under PMMY during 2016-17 and 2017-18 stood at the level of 91.27% and 102.20% respectively against the set Annual Targets which indicate that Banks are actively involved in the process of scheme implementation. Similarly, under Stand Up India scheme, the performance of the Banks has remained at the level of approx. 19.01%. The low performance, is a matter of concern at all levels and is attributed to various reasons which requires certain modifications in the scheme.</p>	<p>All Banks are requested to have a focus on Stand Up India to make the financing in this scheme to desired level.</p> <p>(Action: All Banks)</p>




		The Targets under PMMY for the Current Fiscal 2018-19 are already finalized by Govt of India. The SLBC (UP) has requested the Banks to advise their State target so that the same may be finalized and arrived at for the State as a whole.	
4.	Implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) to fulfill the National objective of Housing for all.	<p>The Scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 17.06.2015 and has four verticals viz. "In Situ" Slum Development, Affordable Housing through Credit Linked Subsidy, Affordable Housing in Partnership, and Subsidy for beneficiary-led individual house construction. The Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) is being implemented through Primary Lending Institutions (PLI) wherein National Housing Bank and HUDCO have been identified as Central Nodal Agency (CNA). The Scheme covers EWS, LIG and MIG Sections of the society and covers various loan components up to Rs. 18 lacs.</p> <p>As at June 2018, Banks in the State have provided financial assistance in -7253- cases to the tune of Rs.78237.74 Lacs.</p> <p>The Government is placing lot of thrust on Housing Sector. This scheme being implemented through Banks (with a Subsidy component) is being closely monitored at all levels.</p>	<p>Different Nagar Nigams, Panchayat have referred the applications to Banks. The Banks are requested to choose the application and verify details of applicant and consider the applications as per revised guidelines issued in this scheme.</p> <p>(Action: All Banks ; Central Nodal Agency)</p>
5.	Issuance, Activation, Distribution of RuPay Card in each PMJDY A/Cs	<p>PMJDY report presented before the committee was discussed thoroughly and it was pointed out that out of total 4.91 crore PMJDY Accounts, RuPay Cards were issued to the tune of 3.87 Crore. There appears a gap of 1.04 Crore between Accounts opened & Rupay Cards issued whereas, as per guidelines issued for PMJDY A/Cs each account is to be issued one Rupay card.</p>	<p>Banks are requested to scan their portfolio and ensure compliance as per extant guidelines of PMJDY.</p> <p>(Action: All Banks)</p>



List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 24.08.2018
PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Designation	Participating Authority & Contact Details	Contact No.	Email ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	MD & CEO	Shri P S Jayakumar		
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri B S Dhaka	0522-6677607	zm.upu@bankofbaroda.com
3					Shri Ram Jais Yadav	0522-6677607	zm.upu@bankofbaroda.com
4	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Ajay Kumar		
5					Shri Yogesh Dayal		
6					Shri R K Singh	8887171993	vggshdval@rbi.org.in
7					Shri Acharya Sagar Vikas	8210108736	rksinh2@rbi.org.in
8	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri A K Singh	9819418150	asksinh@nabard.org
9					Shri M Mukherjee	7506927894	monomov.mukherjee@nabard.org
10					Ms. Richa Bajpai	97941062721	richa.bajpai@nabard.org
11	DFPS, Mof, Gol	Joint Secretary	Yes	Joint Secretary	Shri Amit Agarwal, IAS		
12					Smt. Saloni Narayan	7408974444	eam.holuc@sbi.co.in
13	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Shreekant	9437163853	am13.holuc@sbi.co.in
14					Shri Pradeep K Sharma	7600834355	damabul.holuc@sbi.co.in
15					Shri Amit Gupta	9041048894	amib.holuc@sbi.co.in
16	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field General Manager	Shri Ravinder Singh	9815742224	famo.luc@allahabadbank.in
17					Shri Chiranjeev Verma	9839201672	famoluc.allc@allahabadbank.in
18	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Lal Singh	9920121011	fml.luc@unionbankofindia.com
19					Shri Anand Kumar	9822460171	anand.khousary@unionbankofindia.com
20	Syndicate Bank	Field General Manager	Yes	General Manager	Shri Sampat Kumar Chari	9868394448	zo.lucknow@syndicatebank.co.in
21					Shri S P Yadav	8004912850	fomo.lucknow@syndicatebank.co.in
22	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri Baldeo Kumar	9004574932	nb.north2@bankofindia.co.in
23					Shri R K Sharma	9425308514	nb.north2@bankofindia.co.in
24	Central Bank of India	Field Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri M K Srivastava	7354889121	rdm.luck20@centralbank.co.in
25					Shri Sapan Goel	9918878770	rdm.luck20@centralbank.co.in
26	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Vivek Jha	7060302340	vivekjh@pnb.co.in
27					Shri Nand Kishore	8173000132	nandkishore@pnb.co.in
28	Canara Bank	Chief Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri U K Sharma	9473527060	umeshkumar@canarabank.com
29					Shri Vijay Kumar	7080742466	ajpsoluc@canarabank.com
30	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Ms. Neera Chakravarty	7213002101	zo.lucknow@indianbank.co.in
31					Shri Mahendra Pal Singh	7233000216	bkgahtol@denabank.co.in
32	Dena Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri B K Gahlot	9409071731	rdl.lucknow@denabank.co.in
33					Shri Preeti Agarwal	9721459202	rdl.lucknow@denabank.co.in
34	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Vijay Kumar Niranjana	9839066415	zm.lucknow@sbi.co.in
35					Ms. Yasmin Khan	8874228527	zo.lucknow@sbi.co.in
36	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri Shyamla Baskety	9903202102	8888179@corpbank.co.in
37					Shri S K Singh	8052113909	8888179@corpbank.co.in
38	Andhra Bank	General Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri D C M Reddy	9963714449	zmluc@andhrabank.co.in
39					Shri Anil Kumar	9140038702	zoluc@andhrabank.co.in
40	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Rajesh Kumar Mathur	8051807700	lucknowrm@lobnet.co.in
41	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	No	Manager	Shri Sudhanshu Shekhar Das	8896648820	cmh.lko@obc.co.in
42					Shri Ashish Pandey	8585022601	ajuraluko@obc.co.in
43	United Bank of India	Chief Regional Manager	No	Asstt. Gen. Manager	Shri Debesh Gangopadhyay	9415693941	debasishg@unitedbank.co.in
44					Shri B K Srivastava	9519588822	devcentral@unitedbank.co.in
45	UCO Bank	Zonal Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Vijay Kumar	9415542702	zo.lucknow@ucobank.co.in
46					Shri Rajendra Rajput	9935057850	zo.lucknow@ucobank.co.in
47	Vijaya Bank	Gen. Manager	No	Dy. General Manager	Shri K K Singh	7572024243	mmoluc@vijayabank.co.in
48					Shri S K Jha	7084150066	crediluc@vijayabank.co.in
49	Bank of Maharashtra	State Head	No	Chief Manager, Credit	Shri D.P. Gupta	7704809183	smose.luc@mahabank.co.in
50	Broad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Mithlesh Kumar	9647572558	chairman@broaduprb.co.in
51	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri S B Singh	9594718299	chairman@qba-rfb.com
52	Gramin Bank of Aayavart	Chairman	Yes	General Manager	Shri Adikanda Mahapatra	9837208988	gm@prathamabank.org
53	Prathima Bank	Chairman	No	Chief Manager	Shri A K Sharma	8130167878	anilsz@pnb.co.in
54	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri A K Sinha	7571810001	chairman@ouranchalbank.co.in
55	Purvanchal Bank	Chairman	No	Chief Manager	Shri Rajeev Srivastava	9984970001	gmssst@vgssbank.co.in
56	Kashi Gomti Samiti Gramin Bank	Managing Director	No	Chief General Manager	Shri Harish Rani	7385802800	gmssst@vgssbank.co.in
57	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	Asstt. General Manager	Shri Harsh Gupta	94590002055	upco@id@gmail.com
58					Shri Ajay Pal Singh	6390200381	upco@id@gmail.com
59	UPSGVB	Managing Director	No	Gen. Manager	Shri Daljit Dogra	9867167824	daljit.dogra@axisbank.com
60	Axis Bank	Circle Head	Yes	AVP & Circle Head	Shri Daljit Dogra	9867167824	daljit.dogra@axisbank.com
61					Smt. Mitali Swant	9889016931	mitali.swant@axisbank.com
62	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Senior Manager	Shri Bassant Kumar	9792330000	bassant.kumar@hdfcbank.com
63	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Chief Manager	Smt. Reson Pathak	7055101598	lucknow@nainitalbank.co.in
64	IDBI Bank Ltd.	General Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Manoj Kumar Verma	7311101555	manoj.verma@idbi.co.in
65					Shri Manish Kumar Nigam	8930111292	manish.nigam@idbi.co.in





Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No. / Email_ID
66	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	No	Regional Nodal Officer	Shri Raj Kishore Rakesh	8853005580 / rakesh@icicibank.com
67	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	State SLBC Head	Shri Afab A Khan	8756881811 / afab.alam@icicibank.com
68	Kotak Mahindra Bank	State Head	No	ABM	Sri Brijesh Jaiswal	8169146589 / lucknow@ktbank.com
69	Industrial Bank	State Head	No	No Participation		
70	Federal Bank	State Head	Yes	AVP & Area Head	Shri Anand Kumar	9651192042 / anandkumar@federalbank.co.in
71	South Indian Bank	State Head	Yes	Asstt. Manager	Ms. Amandeep Kaur	0522-2327132 / bro444@sib.co.in
73	Govt. of U.P.	Chief Secretary	Yes	Chief Secretary	Dr. Anoop Chandra Pandey, IAS	
74	Govt. of U.P.	Principal Secretary, KVIB	Yes	Principal Secretary	Shri Navneet Sobhal, IAS	
75	Govt. of U.P.	Secretary, SSI & Export Promotion	No	Principal Secretary	Shri Ravish Gupta, IAS	
76	Agriculture	Principal Secretary	No	No Participation		
77	Rural Development	Principal Secretary	No	Joint Mission Director		
78	UPSRML	Mission Director	No	Mission Executive	Shri Anil K Pandey	7408425366 / mdsrimup9@gmail.com
79				FI Consultant	Shri Sandeep Singh	9889396444 / sandeep2702@gmail.com
80	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	General Manager	Shri D. K. Pandey	9140124388 / arupkumar@sibbi.in
81	MSME Kanpur	Director	No	Asstt. Director	Shri Arup Kumar	9870568754 / neeral.k30@gov.in
82	Planning Department	Principal Secretary	No	Joint Secretary	Shri Neera Kumar	9761839876 / fishikeshdubey@yahoo.co.in
83	National Commission for SCs	Managing Director	No	No Participation	Shri Rishikesh Dubey	9454412779 /
84	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	Dy. Land Reform Commissioner	Shri J B Yadav	
85	Directorate of Industries, Kanpur	Commissioner & Director, GoUP	Yes	Commissioner & Director	Shri K. Ravindra Nayak, IAS	
86				Dy. Commissioner	Shri R. P. Verma	7224805001 / dikatarup@gmail.com
87				Addl. Commissioner (ODOP)	Shri R. K. Singh	9415268129 / kverma1970@gmail.com
88	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	Yes	Director, General	Shri Shiv Singh Yadav	9532076677 / edogee@gmail.com
89				Joint Director	Shri Pramod Kumar	
90				Research Officer	Dr. Raghuvendra	9415654000 /
91	UP SC Finance & Dev. Corpn.	Managing Director	No	General Manager	Shri R. P. Singh	9415255269 /
92	Directorate of Agriculture	Director	No	Dy. General Manager	Shri Vinod Tiwari	7311159803 / monitor.bh.unsdc@gmail.com
93	Khai & Village Industry Comm.	State Director	Yes	Director, Agri. Slat, UP	Shri V. K. Singh	9415093148 / agristatup@gmail.com
94				Asstt. Director - II	Shri R. S. Pandey	
95	National Horticulture Board	Director	No	Dy. Director	Shri Ashutosh Kumar Singh	9415463417 / ashutoshkvi1973@gmail.com
96	Khai & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Dy. Director	Shri Surendra Singh	8552955647 / nhbko@rediffmail.com
97				Dy. CEO	Shri B S Yadav	7408410719 /
98				Nodal Officer	Shri P N Singh	7408410736 / upkvbosgp@gmail.com
99				Add. S P	Shri Man Singh Chauhan	9454404915 / incrime-up@nki.in
100	Police Headquarter	Director General	No	No Participation		
101	UP Housing Bank	Regional Manager/DGM	No	Senior Manager (Credit & PMC)	Shri S. C. Shukla	8726449478 / seshukaz2610@gmail.com
102				Executive Credit	Shri Anil Singh Chandel	9450095722 / credit.upbsn@gmail.com
103	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Director	Shri B P Singh	7379460840 / bpsinsh.up@gmail.com
104	HUDCO	General Manager	Yes	General Manager	Shri Rahul Ji Srivastava	8004923416 / hudcolucknow@gmail.com
105				Jr. General Manager	Shri R. K. Srivastava	9450932215 / hudcolucknow@gmail.com
106	RSETI, MoRD	State Project Co-ordinator	Yes	State Director	Shri V S Sharma	7060207300 / mc&pcvssharma@gmail.com
107	LIC of India	Regional Manager	No	Sr. Branch Manager	Shri H S Sachdeva	8299822872 / hs.sachdeva@licindia.com
108	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No	Asstt. Manager	Shri C S Chaturvedi	9415436329 / cs.chaturvedi@orientalinsurance.co.in
109	Deptt. Of Post	Chief Post Master General	No	Asstt. Supdt. Post Office	Shri Sunil Kumar	9450378223 / ps-up@ndipost.gov.in
110				Special Invites		
111	Yes Bank	State Head	No	Regional Head	Shri Ankur Bansal	9792081777 / ankur.bansal2@yesbank.in
112				Senior Manager	Shri Apoorv Kapoor	9794999220 / apoorv.kapoor@yesbank.in
113	Bandhan Bank	Cluster Head	Yes	Cluster Head	Shri Ankur Pandey	9919002664 / ch.lucknow@bandhanbank.com
114				AVP & BH	Shri Raj Vardhan Pandey	9140685213 / bh.wikashnagar@bandhanbank.com
115				AVP & BH	Shri Pushkar Pandey	7897181400 /
116	Directorate of Census Operations	Dy. Director	No	No Participation		
117	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Dy. Director	Shri Sunil Kumar Pandey	8005499585 / sunil.pandey@uidai.net.in
118				Section Officer	Shri Rajeev Srivastava	8005494256 / rajeev.srivastava@uidai.net.in
119	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Dy. Director	Dr. G C Pandey	9415580155 / gtrish.pandey1960@gmail.com
120				Dy. General Manager	Shri K D Bansal	
121				Asstt. Gen. Manager	Shri Sanjeev Gupta	0522-6677722 / sbc.up@bankofbaroda.com
122				Chief Manager	Shri K. K. Mathur	0522-6677721 / sbc.up@bankofbaroda.com
123				Senior Manager	Shri B K Gupta	0522-6677730 / ps.upu@bankofbaroda.com
124	Bank of Baroda	Manager		Officer	Shri Shalendra Kr. Sharma	
125				Officer	Shri Rakesh Kumar Srivastava	0522-6677725 /
126				Officer	Smt. Sheetal	0522-6677694 /
127				Business Associates	Ms. Anjali Singh	0522-6677726 /
128				Business Associates	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726 /
129				Business Associates	Shri Arun Kumar Agarwal	0522-6677725 /